25/5/2018 पत्रावली समक्ष लोक अदालत कैम्प नाहरगढ़ में प्रस्तुत हुई। वादी एवं प्रतिवादी सं.1 में उपस्थित होकर लोक अदालत की पवित्र भावना से प्रेरित होकर निवेदन किया गया कि पक्षकारों में पारिवारिक समझौता हो चुका है इसलिए प्रकरण चलाना नहीं चाहते हैं। वाद विड्रो करना चाहते हैं।

वाद विड्रो वादिया का ए.पी. वाद विड्रो होने तथा बयानों का स्वीकार किया आज ही तथा कार्यवाही ड्राप प्रकरण में दर्ज हस्ता. पर बाद तामील की भांति [illegible] पत्रावली होकर मय [illegible] नकली [illegible] से काम हो।

सुशीला
(वादीया)

नि. नारायण [illegible]
प्रतिवादी

25/5/18

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:21:18 IST
Reason: SelfAttested